रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 312] नई दिल्ली, बुधवार, मई 26, 1971/ज्येष्ठ 5, 1893

No. 312] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 26, 1971/JYAISTHA 5, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

KRISHI MANTRALAYA

(Khadya Vibhag)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May 1971

S.O. 2150.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food) No. S.O. 3130, dated the 28th September, 1970, the Central Government has, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of the Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act), appointed a Commission of Inquiry (hereinafter referred to as the said Commission) to inquire into and report on various matters of public importance as set out in the terms of reference specified in the said notification;

And, whereas, the Central Government is of opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 5 of the said Act should be made applicable to the said Commission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby directs that the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of section 5 of the said Act shall apply to the said Commission.

[No. 12-2/60-Sugar.]

R. S. TALWAR, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 1971

का० आ० 2150.—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 3180, तारीख 28 सितम्बर, 1970 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक महत्व के ऐसे विभिन्न मामलों में, जो उक्त अधिनियम, में विनिर्दिष्ट निर्देश के निबंधनों में उपवर्णित हैं पूछताछ करने और रिपोर्ट करने के लिये एक जांच आयोग (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आयोग के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) नियुक्त किया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि की जाने वाली जांच की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2), (3), (4) और (5) के उपबंध, आयोग को लागू किये जायें ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2), (3), (4) और (5) के उपबंध उक्त आयोग को लागू होंगे ।

[सं० 12-2/69-चीनी]

आर० एस० तलवाड़, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971